75

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी

नि/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0488 सन्

01. विश्वनाथ तनय श्री गोरेलाल अहिरवार
02. गोलू पिता गोरेलाल अहिरवार
    निवासीगण ग्राम उदयपुरा तहसील राजनगर
    जिला छतरपुर म0प्र0

...........निगरानीकर्तागण

बनाम

01. म0प्र0 शासन
02. लल्लू तनय श्री गोरेलाल अहिरवार
    निवासी ग्राम उदयपुरा तहसील राजनगर
    जिला छतरपुर म0प्र0

...........उत्तरवादीगण

Sow
17.01.18
(Sundram Shrivastava (Ad.))

श्री सुन्दरम श्रीवास्तव, अभि
द्वारा आज 17-1-18 ... हेतु
प्रस्तुत। ... 9-2-18 नियत।
17-1-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व अपर कमिशनर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2017 अन्य संबंधित प्रकरण

01. 1027/अपील/2016–17 अपर आयुक्त सागर
02. 121/अपील/2014–15 आ0 30.01.2017 अनु0 अधिकारी राजनगर
03. 121/अ–6–अ/2012–13 आ0 31.07.2015 नाय0 तह0 मं0 चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

महोदय,

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/488 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुन्दरम श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्र.1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील समयावधि बाह्य प्रस्तुत की गई है एवं अपील विलंब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बताये जाने के कारण अपील को निरस्त किया है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश किए जाने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं दिए हैं। दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	